न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या: – 25/2019 प्रार्थना पत्र

GCMS No. – 2019/00050

1. साहबजादी सइदुन्निसा आयु 83 वर्ष पुत्री नवाब सआदत अली खां निवासी टोंक मृतक के बजाय :–
   1/1 शहजाद अंजुम पिता हमीदुल्ला खान मुसलमान आयु 60 वर्ष नि० टॉक राज०
   1/2 मोईउल्लाह खान पिता हमीदुल्ला खान मुसलमान आयु 45 साल नि० टोंक राज०
   1/3 नसरीन ईरम पिता हमीदुल्ला खान मुसलमान आयु 62 साल नि० टोंक राज०
   1/4 सीमीताज पिता हमीदुल्ला खान मुसलमान आयु 58 साल नि० टोंक राज०
   1/5 उरूस अफ्शा पिता हमीदुल्ला खान मुसलमान आयु 50 साल नि० टोंक राज०
2. साहबजादी अजीजुन्निसा आयु 80 वर्ष पुत्री नवाब सआदल अली खां नि० टॉक मृतक के बजाय :–
   2/1 आहसन रशीद खां पुत्र रशीदउल्ला खां मुसलमान आयु 64 साल नि० टोंक राज०
   2/2 अमीन रशीद खां पुत्र रशीदउल्ला खां मुसलमान आयु 62 साल नि० टॉक राज०
   2/3 खालिद रशीद खां पुत्र रशीदउल्ला खां मुसलमान आयु 60 साल नि० टॉक राज०
   2/4 मुमताज रशीद खां पुत्र रशीदउल्ला ख। मुसलमान आयु 56 साल नि० टॉक
   2/5 असलम अज़ीज खां पुत्र रशीदउल्ला खां मुसलमान आयु 51 साल नि० टोंक
   2/6 कमर ताज पुत्री रशीदउल्ला खां. मुसलमान आयु 55 साल नि० टोंक राज०
   2/7 अमजद उल्लाह खा पुत्र अरशदउल्ला खां मुसलमान आयु 41 साल नि० टोंक
   2/8 असद उल्लाह खा पुत्र अरशदउल्ला खां मुसलमान आयु 39 साल नि० टोंक
   2/9 कासीम खां पुत्र अरशदउल्ला खां मुसलमान आयु 19 साल नि० टोंक राज०
   2/10 अकबर खा पुत्र अरशदउल्ला खां मुसलमान आयु 16 साल नि० टोंक राज०
   2/11 असगर खा पुत्र अरशदउल्ला खां मुसलमान आयु 17 साल नि० टोंक राज०
   2/12 हाशिम खा पुत्र अरशदउल्ला खां मुसलमान आयु 15 साल नि० टोंक राज०
   2/13 आयशा खा पुत्री अरशदउल्ला खां मुसलमान आयु 13 साल नि० टोंक राज०
   2/14 तबस्सुम ताज पुत्री अरशदउल्ला खां मुसलमान आयु 43 साल नि० टॉक राज०
   2/15 कनीज फातमा पत्नि अरशदउल्ला खा मुसलमान आयु 50 साल नि० टोंक राज०
   2/16 शमीम अख्तर पत्नि अरशदउल्ला खां मुसलमान आयु 60 साल नि० टोंक राज०
   2/17 नादीर खां पुत्र मोईन अख्तार मुसलमान आयु 40 साल नि० टोंक राज०
   2/18 अज़हर खां पुत्र मोईन अख़्तर मुसलमान नि० टोंक राज०
   2/19 नय्यर खान पुत्र मोईन अख़्तर मुसलमान आयु 36 साल नि० टोंक राज०

3. साहबजादी मुख्तारून्निसा आयु 71 वर्ष
   दुख़्तरान (पुत्रीया) नवाब सआदत अली खा साहब निवासनीगण टोंक जिला टोंक राज० वजरिये मुख्तार खास साहबजादा अनवर अली खां आयु 70 वर्ष आत्मज नवाब सआदत अली खा साहब मुसलमान नि० टोंक जिला टॉक राज०

प्रार्थीगण

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला कलेक्टर महोदय चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ राज०
2. तहसीलदार एवम् पदेन उप पंजियक तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०
3. पंचायत समीति निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज० जरिये विकास अधिकारी पंचायत समीति निम्बाहेडा
4. नगर पालिका, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज० जरिये अध्यक्ष नगर पालिका निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज०
5. अधिशाषि अधिकारी नगर पालिका निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०

..... विपक्षीगण

Signature Not Verified
Digitally Signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:37:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955

उपस्थित :–1–श्री शहादत अली – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2–श्री सरेन्द्र कुमार ओझा – अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3,4 व 5
3.–विपक्षी संख्या 1,2 स्वयं उपस्थित

:: निर्णय ::

दिनांक :– 04.11.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण दिनांक 2 मई 1947 को नवाब सआदत अली खां साहब टोंक राज्य के शासक (नवाब) थे और निम्बाहेडा टोंक राज्य का एक परगना था। टोंक राज्य का आजादी के वक्त राजपुताना (राजस्थान राज्य) में विलय हो गया और इसी कदर निम्बाहेडा जो टोंक राज्य का परगना था वह भी तहसील निम्बाहेडा के रुप में अस्तित्व मे आया। दिनांक 2 मई 1947 को नवाब सआदत अली खां साहब जो कि सम्पूर्ण टोंक राज्य के एक मात्र स्वामी थे ने राजकीय हुकम नाजिम परगना निम्बाहेडा को जारी कर आराजी खसरा नम्बर 358, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320/1, 1320/2, 1320/3, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330/1, 1330/2, 1330/3, 1331, 1332/1, 1332/2, 1333/1, 1333/2, 1334, 1335, 1335/2, 1337/1 व 1313/2 वाके निम्बाहेडा का प्रार्थीगण जो कि नवाब सआदत अली खां साहब की पुत्रियां भी है को अता व मरहमत फरमाई थी यानि उन्हे बख्श दी थी, इस बाबत नवाब सआदत अली खां साहब ने राजकीय हुकम जारी किया था जिसकी प्रमाणित प्रति प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत की जा रही है उक्त हुक्म उर्दू भाषा मे पारित किया था जिसकाहिन्दी मे तर्जुमा (अनुवाद) प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। हुक्म दिंनाक 2 मई 1947 नवाब सआदत अली खां साहब ने नाजिम साहब परगना निम्बाहेडा के नाम जारी किया था उक्त राजकीय हुक्म की अनुपालना में नाजिम परगना निम्बाहेडा ने प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 4 में वर्णित आराजीयात को प्रार्थीगण के खाते दर्ज करने का हुक्म दिनांक 12 मई 1947 को अपने अधीनस्थों के नाम पालनार्थ जारी किया उक्त आदेश नाजिम साहब परगना निम्बाहेडा भी तत्कालीन समय में प्रचलित उर्दू भाषा में ही जारी किया जिसकी प्रमाणित प्रति प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत की जा रही है जिसकी हिन्दी में तर्जुमा (अनुवाद) प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। राजकीय आदेश नवाब सआदत अली खां साहब टोंक दिनांक 2–5–1947 व पालना आदेश नाजिम साहब परगना निम्बाहेडा दिंनाक 12–5–1947 के मुजब प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के मद नम्बर–4 में वर्णित आराजीयात की एक मात्र स्वामिनियां है और प्रार्थना पत्र के मद नम्बर–4 में वर्णित आराजीयात जो अब नये खसरा नम्बरान के रुप में दर्ज है को राजस्व रेकार्ड में अपने खाते दर्ज करा पाने की अधिकारिणियां है। सन् 1947 में उक्त उपर वर्णित हुक्म जारी होने के बाद टोंक राज्य का राजस्थान राज्य में विलय हो जाने से राजकीय आदेश दिंनाक 2/5/1947 एवं पालना आदेश दिंनाक 12/5/1947 की पालना होकर राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण का नाम प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 4 में वर्णित आराजीयात के बाबत दर्ज नही हो पाया जबकि प्रार्थीगण पर्दानशीन महिलाएँ है। हाल ही मे प्रार्थीगण ने अपने सगे भाई साहबजादा अनवर अली खां साहब को भिजवाकर प्रार्थना पत्र के मद नम्बर–4 में वर्णित आराजीयात का Improvement करने व आज की वर्तमान परिस्थितियों के मुजब प्रार्थना पत्र के मद नम्बर –4 में वर्णित आराजीयात की माकूल व्यवस्था करने वास्ते निम्बाहेडा भिजवाया तो उन्होंने प्रार्थीगण को बताया की राजस्व रेकार्ड में तो प्रार्थीगण का खातेदारान के रुप में नाम दर्ज नही [illegible] था वर्तमान में उक्त आराजी के नये खसरा नम्बर के रुप मे [illegible] पंचायत समिति निम्बाहेडा के खातेदारी में दर्ज है।

2. प्रार्थीगण ने अपने सगे भाई साहबजादा अनवर अली खां साहब के माध्यम से राजस्व रेकार्ड की नकले वगैराह संबंधित कार्यालयों से प्राप्त की तो पता चला कि उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Rancholi
Date: 2025.01.29 13:37:52 IST
Reason: SelfAttested

...यक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

आराजीयात के खसरा नम्बर साबिक सेटलमेन्ट से परिवर्तित हो गये व हाल ही में नये सेटलमेन्ट से नये खसरा नम्बरान व रकबा दर्ज हो गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है आ०न0 905 रकबा 3बीघा 2 बिस्वा जिसके नये आ०नं0 1201 रकबा 0.78 है., आ0न0 906 रकबा 14 बिस्वा जिसके नये आ०नं0 1199 रकबा 0.18है., आ0नं0 907 रकबा 11 बिस्वा जिसके नये आ०नं० 1202 रकबा 0.16है., आ०न० 908 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा जिसके नये आ०नं० 1203 रकबा 0.27है., आ०न० 909 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा जिसके नये आ०नं० 1204 रकबा 0.28 है., आ०न0 910 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा जिसके नये आ०नं० 1206 रकबा 0.36है., आ०न0 911 रकबा 11 बिस्वा जिसके नये आ०नं० 1207 रकबा 0.14 है., आ०न0 912 रकबा 4 बिस्वा जिसके नये आ०नं० 1208 रकबा 0.05है., आ0न0 913 रकबा 10 बिस्वा जिसके नये आ०नं० 1208 रकबा 0.13है., आ०न0 914 रकबा 13 बिस्वा जिसके नये आ०नं0 1210 रकबा 0.16 है., आ०न0 915 रकबा 10 बिस्वा जिसके नये आ०नं0 1211 रकबा 0.13है., आ0न0 916 रकबा 9 बिस्वा जिसके नये आ०नं0 1212 रकबा 0.11 है., आ0न0 917 रकबा 7 बिस्वा जिसके नये आ०नं० 1213 रकबा 0.09है., आ०न0 918 रकबा 8 बिस्वाजिसके नये आ0नं0 1215 रकबा 0.10है., आ0न0 919 रकबा 4बिस्वा जिसके नये आ०नं0 1216 रकबा 0.05है., आ०न0 920 रकबा 3बिस्वा जिसके नये आ0नं0 1217 रकबा 0.04 है., आ०न0 921 रकबा 2बिस्वा जिसके नये आ०नं0 1218 रकबा 0.03है., आ0न0 922 रकबा 1 बिस्वा जिसके नये आ0नं0 1219 रकबा 0.01 है., आ०न0 923 रकबा 7 बिस्वा जिसके नये आ0नं0 1220 रकबा 0.09 है., आ०न0 924 रकबा 2बिस्वा जिसके नये आ0नं0 1222 रकबा 0.03है., आ०न0 935 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा जिसके नये आ0नं0 1234 रकबा 0.34 है., आ0न0 1606 रकबा 17 बिस्वा जिसके नये आ०नं० रकबा है., आ०न० 2043/905 रकबा 18 बिस्वा जिसके नये आ०नं० 1200 रकबा 0.23 है., आ०नं0 2044/905 रकबा 5 बिस्वा जिसके नये आ0नं0 1197 रकबा 0.06 है., आ०न0 2045/905 रकबा 1 बीघा जिसके नये आ०नं० 1198 रकबा 0.25है., आ०न0 2046/917 रकबा 10 बिस्वा जिसके नये आ०नं० 1214 रकबा 0.13 है. हो गये है। तथा जमाबंदी संवत् 2014 से 2022–25 उक्त आराजीयात कृषि विभाग के अधिकृत खाते के रुप में दर्ज हो गई। इसके बाद नकल जमाबंदी संवत् 2030–33, 2034 ता 2037 उक्त आराजी सरकारी बाग में बिना किसी आदेश के दर्ज हो गई तथा जमाबंदी सम्वत् 2038 ता 41 में उक्त आराजी कृषि विभाग अधिनस्थ सरकारी बाग के रुप में हो गई तथा इन्तकाल संख्या 1042 से पंचायत समिति निम्बाहेडा के खातेदारी मे दर्ज हो गई तथा इन्तकाल संख्या 1913 से उक्त आराजी नगर पालिका अध्यक्ष निम्बाहेडा के खातेदारी मे दर्ज हो गई।

3. वर्णित आराजीयात के एक मात्र मालिक स्वामी नवाब सआदत अली खां साहब दिनांक 2 मई 1947 को थे और उन्होने वक्त आराजीयात राजकीय आदेश दिनांक 2/5/1947 से प्रार्थीगण को अता व मरहमत फरमाई थी। जिसकी राजस्व रेकार्ड मे पालना कर प्रार्थीगण का नाम बतौरमालिक/खातेदार दर्ज करने का आदेश तत्कालीन नाजिम परगना निम्बाहेडा को जारी किया था और उक्त आदेश की पालना में नाजिम साहब परगना निम्बाहेडा ने राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद प्रार्थीगण के नाम करने का हुक्म जारी किया। इस प्रकार प्रार्थीगण उक्त राजकीय आदेशो की पालना में प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में वर्णित आराजीयात जिसके नये आराजी नं० प्रार्थना पत्र के मद नं0 9 मे दर्ज है। को राजस्व रेकार्ड में किये गए परिवर्तन कृषि विभाग के खाते दर्ज करने, पंचायत समिति निम्बाहेडा के खाते दर्ज करने, नगर पालिका अध्यक्ष निम्बाहेडा के खाते दर्ज करने के जो समस्त कृत्य है उन्हे निरस्त करवाने की अधिकारीणीयां है। तथा इस बाबत अंतरण से संबंधित समस्त दस्तावेजात [illegible] इन्तकालात व राजस्व रेकार्ड मे किये गये इंतकालात को भी निरस्त करा [illegible] अधिकारीणीयां है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:37:52 IST
Reason: SelfAttested

4. वर्णित आराजीयात जिसके नये खसरा [illegible] 9 मे दर्ज है, को इंतकाल नं0 1913 निम्बाहेडा से नगर पालिका निम्बाहेडा के ख[illegible] मे दर्ज होने पर प्रतिवादी संख्या 4 व 5 में उक्त आराजी के कुछ हिस्से पर अवैध व अनाधीकृत रुप से आज से 8 वर्ष पुर्व तामीरात कराकर कई लोगो का कब्जा भी करवा दिया है। लिहाजा प्रार्थीगण उपर

सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

वर्णित आराजीयात पर किये गए तामीरात को डिमोलिश कराकर खुला कब्जा प्राप्त करने की अधिकारीणीयां है।

5. प्रतिवादी नं0 4 व 5 अब अवैध व अनाधिकृत रुप से उक्त आराजीयात जो खुली पडी है पर भी अनाधिकृत कब्जा कर निर्माण कार्य करने व अंतरित करते हुवे अन्य कई लोगो का कब्जा कराने को तत्पर हो रहे है इस बाबत प्रार्थीगण की और से जर्ये मुख्तार साहबजादा अनवर अली खां साहब द्वारा निवेदन भी किया जा चुकाहै लेकिन प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने प्रार्थीगण की और से की गई प्रार्थना पर कतई ध्यान नहीं दिया तथा अनाधिकृत तामीर तकसीम करने व अन्तरित करने को आमादा है इन तमाम हालात मे प्रार्थीगण के लिए विपक्षीगण के विरुद्ध उक्त आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा हासिल करना नितांत आवश्यक हो गया है। प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फॅरमाया जाकर विपक्षीगणो को अस्थाई निषेधा से पाबंद फरमाया जावे की वे मुल वाद के निर्णय तक उपरौक्त वर्णित आराजीयात में किसी प्रकार से अनाधिकृत रुप से कब्जा नहीं करे तथा ना ही किसी प्रकार का हस्तांतरण करे तथा ना ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य ही करें ना किसी अन्य से करावें तथा ना ही प्रार्थीगण के उक्त आराजीयात के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की मदालखत बेजा करें।

6. प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी क्रमांक 3,4, 5 की ओर से अधिवक्ता श्री सरेन्द्र कुमार ओझा ने अधिकार पत्र मय जवाब प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी संख्या 1,2 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण/प्रार्थीगण ने उपयुक्त उनवान का एक दावा तथ्यो को छुपा कर गलत प्रस्तुत किया जो आगे निश्चित ही खारीज होगा ऐसी पुरी संभावना है। दिनांक 02 मई 1947 को ब्रिटीश इण्डिया का राज था और भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ उस वक्त टोंक राज के नवाब कौन थे ये रिकार्ड से पता नही चल रहा है। इसलिये जानकारी के अभाव में स्वीकार नही है। स्वतन्त्र भारत में टोंक राज्य का विलय होना स्वीकार शेष कथन स्वीकार।सम्पुर्ण टोंक राज्य के स्वामी नवाब सआादत अली होना स्वीकार नही और इस चरण में वर्णित आराजी नम्बर के बाबत् कोई राजकीय हुक्म होना स्वीकार नही है। इस चरण में जो आराजी नम्बर दिये है वे सभी राजस्थान राज्य के भाग होकर राजस्थान सरकार भूमिधारी होकर इन्ही के स्वामित्व एवं आधिपत्य के है तथा कोई हुकमनामा उर्दू भाषा का होना स्वीकार नही है और नवाब साहब की तीनो पुत्रीयो को यह सम्पतिया देना भी स्वीकार नही है। आवेदन पत्र की चरण सख्या 05 का उत्तर यह है 02 मई 1947 को नवाब सआादत अली साहब द्वारा नाजीम साहब निम्बाहेड़ा को जारी किया गया कोई फरमान स्वीकार नही पैसा कोई फरमान जारी नही किया गया। शेष कथन सम्पुर्ण रूप से अस्वीकार।

7. पंचायत समिति के नाम पर दर्ज होना स्वीकार और आराजी नम्बर जो खतौनी सख्या 645 में दर्ज है में से आराजी नम्बर 905 से 920 तक तथा आराजी नम्बर 921 से 925 तक और 2043 से 2046 कुल किता 23 कुल रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा ये सभी कृषि भूमिया राजस्थान सरकार द्वारा प्रकरण सख्या एफ 19 (5) स्थानीय/नि./92/613 दिनांक 08-06-1993 को उप शासन सचिव राजस्थान सरकार की अनुमती से पंचायत समिति निम्बाहेड़ा के सरकारी बाग की जमीन 15 बीघा 13 बिस्वा जमीन 90,000/- अक्षरे नब्बे हजार प्रति बीघा के हिसाब से नगर पालिका निम्बाहेड़ा को विक्रय करने की स्वीकृति जारी हुई और इसी परिपेक्ष में 14,08,500/- रूपये में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से अध्यक्ष नगर पालिका निम्बाहेड़ा द्वारा खरीद की गई जिसका विधिवत पंजीयन हुआ जो दिनांक 09-06-1995 को दस्तावेज निष्पादित कर दिनांक 12-06-1995 को उसका पंजीयन कराया गया इस प्रकार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से और राज्य सरकार की स्वीकृति के माध्यम से यह कृषि भूमि नगर पालिका निम्बाहेड़ा के आधिपत्य में होकर नगर पालिका निम्बाहेड़ा द्वारा व्यापक जनहित में वरिष्ठ नगर नियोजक के प्लान के अनुसार यहां बस स्टेण्ड निर्मित कर वर्तमान में बस स्टेण्ड जन सामान्य की सुविधा के अनुसार संचालित किया जा रहा है अब जमीन खातेदारी में दर्ज नही होकर आबादी का भाग होकर आबादी के काम में आ रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Panchol
Date: 2025.01.29 13:37:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा

8. राजस्थान सरकार समस्त भूमियो की भू–स्वामिनी है और राजस्थान सरकार की अनुमती से पंचायत समिति सरकारी बाग की भूमि को 14,08,500/– रूपया में हस्तान्तरित की है और इसका विधिवत् विक्रय पत्र निष्पादित कर पंजीयरन कराया है और जो राज्य सरकार की अनुमती से कराया है इसलिये प्रार्थीगण इन प्रविष्टियो को किसी भी प्रकार से निरस्त कराने के अधिकारीणी नही है। नगर पालिका निम्बाहेड़ा ने विधिवत उक्त भूमि को खरीद कर प्लान के अनुसार बस स्टेण्ड एवं अन्य व्यवसायिक भूखण्ड जिस पर दुकाने आदि निर्मित की है और उन्हे नगर पालिका के नियमो के अन्तर्गत अन्य व्यक्तीयो को हस्तान्तरित किया है जिस पर वे सभी व्यक्ति अपना व्यवसाय कर रहे है प्रार्थीगण इस निर्माण को गिरा कर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारीणी नही है।

9. विपक्षी सख्या 03 का कोई कब्जा अनाधिकृत नही है नगर पालिका निम्बाहेड़ा द्वारा खरीदी गई सम्पुर्ण भूमि नगर पालिका के नियत्रंण में है और आबादी का भाग है बिना नगर पालिका निम्बाहेड़ा के बिना अनुमती के कोई व्यक्ति कब्जा नही कर सकता है। शेष कथन स्वीकार नही है। प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 03 के विरूद्ध किसी भी प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने की अधिकारीणी नही है। प्रार्थीगणो का कोई प्रथम दृष्ट्या प्रकरण नही है सुविधा का सतुंलन भी विपक्षी के पक्ष में और अपुर्णीय क्षति भी विपक्षी को होगी। जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज किया जायें। प्रार्थीगण किसी भी प्रकार की सहायता विपक्षी के विरूद्ध प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

5. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया तथा विपक्षी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किए जाने का निवेदन किया ।

6. उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य बिन्दु है जिनका विशलेषण इस प्रकार है–

I. <u>प्रथम दृष्टया मामला</u>– हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात में प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई कब्जा नहीं रहा है और न ही वादग्रस्त आराजियात के प्रार्थीगण खातेदार है तथा नगर पालिका निम्बाहेडा द्वारा दिनांक 09.06.1995 को उक्त भूमि का पंजीयन करा लिया गया है। इसी भूमि के सम्बन्ध में एक मुकदमा सिविल न्यायालय में विचाराधीन होना जाहिर आया है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

II. <u>अपूरणीय क्षति</u>– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होना द्वितीय शर्त है। प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थीगण अपना कब्जा साबित करने में असफल रहे हैं। अपूर्णीय क्षति विपक्षी नगर पालिका निम्बाहेडा के क्रय होने से प्रार्थीगण को विवादित आराजी पर कोई अपूरणीय क्षति नहीं होना पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:37:52 IST
Reason: SelfAttested

III. सुविधा का संतुलन :– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन का झुकाव होना तृतीय शर्त है। विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय

क्षति प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है।

9. उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य बिन्दु है जिनका विशलेषण उपरान्त हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूवर्ण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होते है। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि में प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुए हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज योग्य है।

–:आदेश:–

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो रहे है प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का संन्तुलन भी नहीं पाया गया अतः प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण नही करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:37:52 IST
Reason: SelfAttested